Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

C.S.I.D.C. LTD RAIPUR

DOCUMENT

EXPRESSION OF INTREST

for the

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छ.ग. शासन हेतु गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के लिये निर्धारित थीम "अंजोर विजन 2047" पर आधारित चलित झांकी का निर्माण एवं संचालन का कार्य

NIT No. 32/CSIDC/E.E./Division-III/2025-26 **Raipur, Dated 19/01/2026**

CHHATTISGARH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

1st Floor, Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibandha, Raipur(C.G.) – 492006
Phone : 0771-6621000 Fax : 0771-2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001:2015 Certified)

प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)

CIN: U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn No. 22AABCM6288N5ZY

दूरभाष : कार्या.– 0771–6621000, फैक्स: 0771–2583794

Website: www.csidc.in Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

निविदा क्र. 32/सीएसआईडीसी/का.अ./संभाग–03/2025–26 रायपुर, दिनांक 19/01/2026

निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.00 बजे तक

प्रजेन्टेशन का दिनांक दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.30 बजे से

निविदा खोलने का दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.30 बजे

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हेतु गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के लिये झांकी निर्माण एवं संचालन –पुलिस परेड मैदान रायपुर (थीम–''अंजोर विजन 2047'') हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTREST) के प्रस्ताव का आमंत्रण निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है

(निविदा नियम एवं शर्ते)

1. झांकी की थीम :– **''अंजोर विजन 2047''**

2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के लिये निर्धारित थीम पर आधारित चलित झांकी होगी, जिसका निर्माण ट्रक/ट्रेलर पर किया जाना होगा। प्रस्ताव में ट्रक/ट्रेलर की साईज तथा झांकी के मॉडल/स्कैच/3D–व्यू प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जावे।

3. ट्रक/ट्रेलर पर थीम अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से विगत तीन–चार वर्षो में निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए है। झांकी में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ''अंजोर विजन 2047'' को प्रदर्शित किया जाना है। आकर्षक कटआऊट्स, विडियो प्रदर्शन एवं अन्य माडल्स् इत्यादि के माध्यम से इच्छुक प्रस्तावक अपनी कल्पना अनुसार उक्त थीम पर विस्तृत प्रस्तुती प्रस्तुत करेंगे।

4. प्रस्ताव के साथ अमानत राशि के रूप में रू. 10,000/– (अक्षरी रूपये 10 हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सी.एस.आई.डी.सी.), के पक्ष में जमा करना होगा। अमानत राशि प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिती में प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

5. प्रस्तावक अपने लेटर हेड पर प्रस्ताव दो पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे।

- **प्रथम लिफाफा–A** में विस्तृत प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना होगाः–
  - I. प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी के नाम पर रू. 10 हजार की आमनत राशि का डिमांड ड्राफ्ट(राष्ट्रीयकृत बैंक)।
  - II. आवेदक–एजेंसी का पंजीयन प्रमाण पत्र।
  - III. पैन कार्ड की छायाप्रति।
  - IV. GST रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
  - V. पूर्व 05 वर्षो में किए गए समान प्रकार के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
  - VI. प्रस्तावित कांसेप्ट एवं डिजाईन।
  - VII. थीम **''अंजोर विजन 2047''** पर आधारित आलेख।
- **द्वितीय लिफाफा–B** में निर्धारित प्रपत्र **"Financial Offer"** में वित्तीय दरें **(जी.एस.टी. एवं अन्य सभी करों सहित)** प्रस्तुत की जानी होंगी। सभी कागजों पर आवेदक–एजेंसी के सील युक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

क्रमश : 02

6. प्रस्तावकों के प्रदर्शन व कांसेप्ट स्वीकार होने के पश्चात् ही वित्तीय दर का लिफाफा–B खोला जायेगा।

7. प्रस्ताव में प्रस्तुत दरें समस्त कार्य तथा ट्रक/ट्रेलर, वाहन चालक, किराया, मजदूरी, प्रदर्शनी निर्माण, फ्लैक्स, विडियो, कटआऊट, प्रदर्शनी दल इत्यादि से संबंधित व्यय एकमुश्त प्रस्तुत की जायेगी एवं सभी कार्य शामिल माने जायेंगे। प्रस्तुत दर **(जी.एस.टी. एवं अन्य सभी करों सहित)** होगी।

8. पिछले 05 वर्षों के अंतर्गत निविदाकार फर्म/एजेंसी द्वारा गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर परेड के दौरान झांकी प्रदर्शनी सफलतापूर्वक किये जाने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से जारी, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

9. प्रस्तावक/निविदाकार फर्म/एजेंसी द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम होने के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों में से किसी भी 03 वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर रू. 25 लाख का चार्टेड अकाउंटेट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. निविदाकार/फर्म द्वारा पिछले 03 वर्षों का आयकर दाता प्रमाण पत्र (ITR for last 03 years-2022-23, 2023-24, 2024-25) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

11. झांकी निर्माण/प्रदर्शन दौरान यदि प्रस्तावक के द्वारा कार्य पूर्ण नही किया जाता है, तो निगम द्वारा अन्य माध्यमों से कार्य पूर्ण कराया जायेगा एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने तथा फर्म के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की अनुशंसा की जायेगी।

12. प्रस्ताव स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सी.एस.आई.डी.सी.), रायपुर को होगा तथा स्वीकृत प्रस्ताव/कांसेप्ट में आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार भी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. को होगा। यदि प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित थीम एवं कांसेप्ट डिजाइन के अनुसार झांकी का कार्य संपादित नहीं किया जाता है तो प्रबंध संचालक को समानुपातिक रूप से कटौती का अधिकार होगा।

13. प्रस्तावक/निविदाकार फर्म/एजेंसी द्वारा निविदा/EOI प्रस्ताव दिनांक 23/01/2026 को प्रजेन्टेशन हेतु दोपहर 3.00 बजे तक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सी.एस.आई.डी.सी.) के सभाकक्ष प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 01 रायपुर में स्वयं उपस्थित रहेंगे।

14. निविदाकार फर्म द्वारा झांकी हेतु प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने तथा प्रवेश द्वार एवं आगमन, निर्गम मार्ग को ध्यान में रखते हुये निर्माण किया जाना होगा। झांकी ट्रेवल के दौरान टूट–फूट न हो इसका ध्यान एजेंसी द्वारा रखा जाना होगा।

15. झांकी का निर्माण किसी भी हालत में दिनांक 24 जनवरी 2026 को पूर्वान्हः 11.00 बजे तक पूर्ण कर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. से अवलोकन कराकर स्वीकृति प्राप्त करने की जिम्मेदारी चयनित प्रस्तावकर्ता की रहेगी।

क्रमशः : 03

16. अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी के अवसर पर "अंजोर विजन 2047" थीम पर झांकी (Jhanki/Tableau) के डिजाइन, निर्माण, प्रस्तुतीकरण एवं प्रदर्शन कार्य हेतु अनुभवी एवं सक्षम एजेंसियों का चयन गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन पद्धति (QCBS) के अंतर्गत किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में थीम आधारित प्रस्तुतीकरण, डिजाइन एवं तकनीकी क्षमता, विगत 05 वर्षों का झांकी प्रदर्शन अनुभव तथा टीम स्ट्रेंथ एवं पूर्व कार्य निष्पादन का आकलन किया जाएगा। तकनीकी रूप से अर्ह एजेंसियों को ही वित्तीय मूल्यांकन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तकनीकी एवं वित्तीय अंकों का अंतिम मूल्यांकन निर्धारित QCBS वेटेज के अनुसार किया जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन मापदंड निम्नानुसार सारणी में दर्शाए गए हैं:-

Technical Evaluation (Total : 100 Marks)

S. No.	Evaluation Criteria	Description	Max Marks
1	Concept & Theme Presentation	Concept note, storyline, creativity, relevance with Anjor Vision 2047, innovation and visual impact (Presentation before committee)	40
2	Design & Technical Capability	3D design, structural safety, material selection, lighting, animation/mechanism, execution methodology	25
3	Experience (Last 5 Years)	Experience of Jhanki/Tableau display in Republic Day / State / National level events during last 5 years	20
4	Team Strength & Past Performance	Key professionals, technical team, fabrication setup and past performance	15

No. of Jhanki/Tableau Executed	Marks
5 or more	20
3 – 4	15
1 – 2	10
Nil	0

Financial Evaluation (QCBS Weightage)

Component	Weightage
Technical Score (T)	70%
Financial Score (F)	30%
Final QCBS Score	(T × 0.70) + (F × 0.30)

17. प्रस्तावकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि गणतंत्र दिवस के पूर्व छुट्टियों, त्यौहारों इत्यादि को ध्यान में रखते हुये कार्य त्वरित गति से आरंभ कराये। उपरोक्तानुसार स्थिति में मजदूर एवं सामग्री संकलन में होने वाले बाधाओं के लिये प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. जिम्मेदार नही रहेंगे।

18. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. की ओर से चयनित प्रस्तावकर्ता को अग्रिम राशि भुगतान किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

क्रमश : 04

19. झांकी प्रदर्शनी के दौरान हुये किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना, जोखिम, जन एवं धन हानि इत्यादि की संपूर्ण जवाबदारी चयनित प्रस्तावकर्ता की रहेगी।

20. झांकी निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण का कार्य, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा जारी "गणतंत्र दिवस समारोह-2026 : झांकी निर्माण निर्देश" (संलग्न) के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का पूर्णतः पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी/संस्था का प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा।

21. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTREST) के प्रस्ताव को किसी भी स्तर/समय पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., रायपुर को होगा।

प्रबंध संचालक
सी.एस.आई.डी.सी.

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(ISO 9001:2015 Certified)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
CIN: U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn No. 22AABCM6288N5ZY
दूरभाष : कार्या.– 0771–6621000, फैक्स: 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

क्र. सीएसआईडीसी/का.अ./संभाग–03/2025–26/ रायपुर, दिनांक /01/2026

निविदा प्रपत्र(EXPRESSION OF INTREST DOCUMENT)–'अ'

निविदा क्र. 32/सीएसआईडीसी/का.अ./संभाग–03/2025–26 रायपुर, दिनांक 19/01/2026
निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.00 बजे तक
प्रजेन्टेशन का दिनांक दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.30 बजे से
निविदा खोलने का दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.30 बजे

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हेतु गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के लिये झांकी निर्माण एवं संचालन –पुलिस परेड मैदान रायपुर (थीम–"अंजोर विजन 2047") हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTREST)

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट
कार्पोरेशन लिमि. (सी.एस.आई.डी.सी.),
प्रथम तल, उद्योग भवन,
रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा,
रायपुर (छ.ग.) पिन कोड. 492006

गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी 2026 को पुलिस परेड ग्राउण्ड रायपुर में झांकी निर्माण एवं प्रदर्शनी कार्य के लिये प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार राशि रू. 10 हजार अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सी.एस.आई.डी.सी.), रायपुर के नाम से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूं।

मुझे निविदा के संबंध में वर्णित सभी शर्ते मान्य है।

स. क्र.	विवरण	संलग्न दस्तावेज की प्रति
1	निविदाकार फर्म का पूरा नाम व पता, दूरभाष नम्बर व मोबाईल नम्बर	
2	निविदाकार फर्म का पिछले पांच वर्षो में से किसी भी 03 वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर रू. 25 लाख का चार्टेड अकाउंटेट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र	
3	पैन कार्ड की छायाप्रति।	
4	निविदाकार फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र	
5	निविदाकार/फर्म का पिछले 03 वर्षो का आयकर दाता प्रमाण पत्र (ITR for last 03 years-2022-23, 2023-24, 2024-25)	
6	पूर्व 05 वर्षो में किए गए समान प्रकार के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।	

क्रमशः : 02

7	निविदाकार/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे अमानत राशि की डी.डी. का क्रमांक/बैंक एवं राशि का विवरण	
8	फर्म के पंजीयन दस्तावेज का विवरण	
9	अन्य कोई जानकारी, जो निविदाकार फर्म द्वारा प्रस्तुत की जा रही हो।	

नोट : वित्तीय बोली सीलबंद **लिफाफा–B** में संलग्न प्रपत्र **"FINANCIAL OFFER"** में पृथक से प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर एवं सील

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(ISO 9001:2015 Certified)
प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड़ नंबर–01, खनिज भवन के सामने, रायपुर (छत्तीसगढ़)
CIN: U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn No. 22AABCM6288N5ZY
दूरभाष : कार्या.– 0771–6621000, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

निविदा क्र. 32/सीएसआईडीसी/का.अ./संभाग–03/2025–26 रायपुर, दिनांक 19/01/2026
निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.00 बजे तक
प्रजेन्टेशन का दिनांक दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.30 बजे से
निविदा खोलने का दिनांक व समय 23/01/2026, दोपहर 3.30 बजे

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हेतु गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के लिये झांकी निर्माण एवं संचालन –पुलिस परेड मैदान रायपुर (थीम–"अंजोर विजन 2047") हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTREST) हेतु वित्तीय प्रस्ताव लिफाफा–'ब' में

"FINANCIAL OFFER"

क्रमांक	झांकी निर्माण/प्रदर्शनी का विवरण	दर (जी.एस.टी. एवं अन्य करों सहित)	
		राशि रू. (अंको में)	राशि रू. (शब्दों में)
1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हेतु गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के लिये झांकी निर्माण एवं संचालन–पुलिस परेड मैदान रायपुर (थीम–"अंजोर विजन 2047") हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु वित्तीय प्रस्ताव		

निविदाकार का हस्ताक्षर एवं सील

गणतंत्र दिवस समारोह 2026

—:झांकी निर्माण निर्देशः—

गणतंत्र दिवस समारोह का राज्य स्तरीय आयोजन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रायपुर में किया जा रहा है। आपको विदित है कि समारोह में राज्य शासन के विभाग, इकाईयां, सार्वजनिक उपक्रम/निगम, मंडल और केन्द्र सरकार के उपकम चल झांकियों के माध्यम से अपने विभाग/संस्था की गतिविधियों/उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं।

राज्य स्तरीय समारोह का सुरूचिपूर्ण एवं सुनियोजित ढंग से बेहतर एवं प्रभावी प्रदर्शन एवं उनमें एकरूपता लाने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है:—

झांकी का चयन :

1. झांकी का आकल्पन ;ब्वदबमचजद्ध इस तरह तैयार करना होगा जिससे विषय वस्तु स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो सके।
2. झांकी के विवरण से संबंधित संलग्न प्रोफार्मा संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा, व्यावसायिक परिसर, सेक्टर—27, नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. **पुस्तिका प्रकाशन हेतु झांकी संबंधी आलेख 20 जनवरी 2026 तक (पेनड्राईव सहित कृतिदेव 010 फॉन्ट में) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

झांकी निर्माण :

1. झांकी निर्माण कार्यक्षेत्र विभाग के विषय/संस्कृति विभाग के झांकी निर्माण निर्देशानुसार होना चाहिए।
2. शासन के निर्णय अनुसार गणतंत्र दिवस में **झांकियों का प्रदर्शन का थीम** कार्यवाही विवरण में अंकित थीम के अनुरूप रहेगा।
3. **झांकियों के सामने एवं पीछे भाग में सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति नहीं होगी।**
4. निरीक्षण के समय झांकी प्रभारी की उपस्थिति आवश्यक है।
5. समस्त झांकियों में एकरूपता बनाए रखने के लिए झांकी निर्माण ट्रेक्टर ट्रॉली/ट्रक पर करना होगा। यदि झांकी की डिजाईन अथवा झांकी निर्माण कार्य अन्य वाहन पर करना आवश्यक हो तो झांकी निर्माण समिति से इस संबंध में पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. झांकी निर्माण इस प्रकार करना होगा जिससे ट्रेक्टर ट्रॉली/ट्रक दिखाई न पड़े।
7. झांकी के सामने शीर्षक एवं अनुमोदित "लोगो" लगाना अनिवार्य है।
8. विभागों के सहयोग के लिए पुलिस परेड ग्राउंड पर संस्कृति विभाग द्वारा एक कैम्प कार्यालय स्थापित किया जायेगा। जहां समय—समय पर झांकी निर्माण समिति के निर्देश प्रसारित किये जायेंगे। झांकी प्रभारी/नोडल अधिकारी को इनका पालन करना आवश्यक है।
9. झांकी निर्माण स्थायी समिति द्वारा झांकियों की समीक्षा की जायेगी। डिजाईन/मॉडल के अनुरूप झांकी का निर्माण न होने अथवा निर्धारित समय पर कार्य अधूरा रहने पर अथवा अपेक्षा के अनुरूप झांकी न होने पर समिति द्वारा झांकी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. झांकी निर्माण का समस्त व्यय स्वयं निर्माता/संस्था को वहन करना होगा तथा इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा।

क्रमश : 02

11. झांकी वाहन के साथ अग्निशमक यंत्र रखा जाना अनिवार्य है।
12. झांकी स्थल अत्यंत सीमित होने के कारण, यह सुनिश्चित करे कि झांकी की अधिकतम लंबाई ट्रेक्टर ट्रॉली सहित 25 फीट से अधिक नहीं होगी तथा चौड़ाई 11 फीट और अधिकतम ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी। झांकी के सरल कमांक के नीचे झांकी की लंबाई एवं चौड़ाई फीट में लिखना आवश्यक होगा। अधिक होने की स्थिति में झांकी प्रदर्शन हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। इस हेतु संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. झांकी प्रदर्शन की पूर्व संध्या पर संबंधित विभाग की झांकी को दिये गये कमानुसार लाईनअप कराना झांकी प्रभारी का दायित्व होगा। आवश्यक है कि ट्रक/ट्रेक्टर अच्छी स्थिति में रहे और ट्रक/ट्रेक्टर अनुभवी ड्राइवर के साथ समय पर मौजूद रहे।
14. झांकी निर्माण स्थल पर संस्कृति विभाग के कैम्प कार्यालय में झांकी प्रभारी अधिकारियों को प्रतिदिन एक बार कैम्प कार्यालय से संपर्क अवश्य करना चाहिये जिससे आवश्यक सूचनाएं दी जा सकें।
15. झांकी प्रभारी द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने पर स्थल आवंटित किया जायेगा।
16. संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व में निर्दिष्ट अधिकारी झांकियों के संयोजन समन्वय और सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।
17. झांकी 23 जनवरी तक पूर्ण हो जाना अनिवार्य है ताकि 24 जनवरी को रिहर्सल के लिए झांकी कतारबद्ध तैयारी हो सके।
18. झांकी को गणतंत्र दिवस के प्रदर्शन के समय प्रायः यह प्रवृत्ति देखने में आती रही है कि झांकी स्टेज के सामने तथा ग्राउंड के भीतर रूक जाती है। इस प्रकार की पूर्णावृत्ति न हो।
19. समारोह स्थल पर विभागों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों के लिए "नोडल अधिकारी" नियुक्त किए जाएं तथा उनके नाम की जानकारी एवं झांकियों पर रहने/भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पते की सूची/जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **रायपुर/कलेक्टर रायपुर तथा एक प्रति संस्कृति विभाग के नोडल अधिकारी को दिनांक 20 जनवरी 2026 तक अनिवार्यतः उपलब्ध करावे।**

संचालक
संस्कृति एवं राजभाषा

****